बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

अधिसूचना

अ०स० :–2/अ0प्र0–2–137/2014 1205 /पटना, दिनांक :– 16.5.23

श्री लाल बाबू प्रसाद, तत्कालीन कनीय अभियंता, एन०आर०ई०पी०, पटना सम्प्रति सेवानिवृत सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग को अधिसूचना संख्या–70–सह–पठित ज्ञापांक–71 दिनांक 09.01.2023 द्वारा रू० 17,77,607/–(सतरह लाख सत्तहत्तर हजार छः सौ सात रूपये) की वसूली का दंड अधिरोपित किया गया। उक्त अधिरोपित दंड के विरूद्ध श्री प्रसाद के पत्रांक शून्य दिनांक 20.02.2023 द्वारा अपील अभ्यावेदन समर्पित किया गया है।

2. श्री प्रसाद के विरूद्ध पटना जिलान्तर्गत नासरीगंज मुसहरी से राघो राय के घर तक पथ निर्माण (योजना सं0–39/03–04) में रैयती जमीन पर पथ का निर्माण कराये जाने के कारण माननीय उच्च न्यायालय द्वारा एल०पी०ए० संख्या–1674/2012 एवं अवमाननावाद संख्या–4406/2013 में पारित न्यायादेश के अनुपालन में रैयती भूमि के बदले सरकार को कुल रू० 53,32,823/– (तिरेपन लाख बत्तीस हजार आठ सौ तेईस रूपये) की आर्थिक क्षति होने संबंधी मामले में विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी। उक्त संचालित विभागीय कार्यवाही के फलाफल के आधार पर समीक्षोपरान्त प्रश्नगत् मामले में हुई आर्थिक क्षति की समानुपातिक वसूली के तहत रू० 17,77,607/–(सतरह लाख सत्तहत्तर हजार छः सौ सात रूपये) की वसूली का दंड अधिसूचना संख्या–70–सह–पठित ज्ञापांक–71 दिनांक 09.01.2023 द्वारा अधिरोपित किया गया।

3. उक्त अधिरोपित दंड के विरूद्ध श्री प्रसाद द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन में उनके मामले में बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17 का अनुपालन नहीं किये जाने का उल्लेख करते हुए अक्षरशः निम्नवत तथ्य रखा गया :–

(क) संसूचित दंड का अवलोकन करना चाहेंगे, जिसके कंडिका–7 में अंकित है कि– ''श्री प्रसाद द्वारा वित्तीय क्षति की समानुपातिक वसूली के बिन्दु पर समर्पित कारण पृच्छा एवं द्वितीय बचाव बयान में वर्णित तथ्यों की विभागीय समीक्षोपरांत यह स्पष्ट हुआ कि श्री प्रसाद द्वारा ऐसा कोई तर्कसंगत एवं अकाट्य तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया, जो स्वीकार योग्य हो। प्रश्नगत् योजना के कार्यान्वयन के क्रम में अभियंताओं द्वारा किये गये चूक के कारण सरकार को भूमि के मुआवजा के रूप में अनावश्यक रूप से वित्तीय क्षति उठानी पड़ी। अतः श्री प्रसाद का बचाव बयान स्वीकार योग्य नहीं है।'' यह कहा जाना नियमानुसार नहीं है, क्योंकि मेरे द्वारा संचालन पदाधिकारी के समक्ष साक्ष्य आधारित अपना बचाव बयान समर्पित किया था, जिसके अवलोकनोपरान्त उनके द्वारा मेरे विरूद्ध आरोप पत्र में गठित आरोपों को अप्रमाणित होने का अभिमत दिया था।

(ख) द्वितीय कारण पृच्छा में जो असहमति के बिन्दु थे, उसके क्रम में मैंने अपने प्रत्युत्तर में यह कहा था कि रेखांकन में भूमि रैयती तो नहीं है इसकी जानकारी प्राप्त नहीं की गयी के क्रम में यह कहना आवश्यक है कि यह योजना विधायक मद से कराया जाना था एवं स्थल मापी के समय किसी प्रकार की कोई आपत्ति भी नहीं उठायी गयी थी और उक्त पथ पर आवागमन भी था, जिसकी सम्पुष्टि जिला पदाधिकारी के प्रतिवेदन से भी की जा सकती है।

15/5/23

Phone-0612-2545191 Fax-0612-2545322, Website :-http://rwd.bih.nic.org, E-mail:secretaryrwdbihar@gmail.com,&secy-reo-bih@nic.in

(ग) इस संबंध में यह भी कहना है कि संबंधित योजना वर्ष 2003–04 की थी एवं विभागीय पत्रांक 3101 दिनांक 21.12.2018 द्वारा मुझसे स्पष्टीकरण की मांग की गयी, जिसके आलोक में मेरे द्वारा अपना स्पष्टीकरण भी समर्पित किया गया, परन्तु मेरे स्पष्टीकरण को अस्वीकार योग्य बताते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2006 के नियम–17 के तहत विभागीय कार्रवाई आरंभ की गयी एवं संचालन पदाधिकारी के मंतव्य कि आरोप प्रमाणित नहीं होता है पर असहमत होते हुए द्वितीय कारण पृच्छा पूछी गयी। इस बीच मैं दिनांक 31.03.2020 को सेवानिवृत्त हो गया, तो लगभग 20 वर्ष पूर्व के मामले जिसमें वर्ष 2018 में स्पष्टीकरण पूछी गयी एवं विभागीय कार्यवाही का उद्‌गम भी वर्ष 2020 में हुआ, लगभग तीन वर्षों के बाद वसूली संबंधी अधिसूचना निर्गत किया जाना विभिन्न न्यायादेशों एवं सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों के विपरीत है।

(घ) इस संबंध में यह भी कहा जाना आवश्यक है कि मेरे विरूद्ध कार्रवाई बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17 के तहत आरंभ किया गया एवं मेरे सेवानिवृत्ति के तीन वर्षो के बाद भी इस विभागीय कार्यवाही को आधार बनाकर मेरे पूर्ण पेंशन का भुगतान तो नहीं ही किया गया अपितु उपादान एवं Leave Encashment को भी रोक रखा गया है, जिसमें मेरा कोई दोष नहीं है।

(ड़) इस संबंध में यह भी कहना है कि संसूचित दण्ड में यह भी अंकित है कि उक्त प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है एवं यह पत्र विशेष सचिव द्वारा निर्गत है, के क्रम में कहना है कि सामान्य प्रशासन विभाग के पत्रांक 6968 दिनांक 12.07.2021 द्वारा सरकारी सेवकों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई के संचालन हेतु अनुशासनिक प्राधिकार के निर्धारण के संबंध में दिशा–निर्देश निर्गत है, के क्रम में कहना है कि चूँकि मैं कनीय अभियंता था तो मेरे मामले में अभियंता प्रमुख अनुशासनिक कार्रवाई करने हेतु सक्षम थे एवं अपीलीय प्राधिकार सचिव है, परन्तु इस मामले में सरकार का अनुमोदन प्राप्त किया गया है, जिसे विधिसंगत नहीं कहा जा सकता है।

4. श्री प्रसाद द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन में वर्णित तथ्यों, द्वितीय कारण पृच्छा एवं वसूली के बिन्दु पर समर्पित कारण पृच्छा के तुलनात्मक परीक्षण के उपरान्त यह पाया गया कि इनके द्वारा समर्पित द्वितीय कारण पृच्छा में आलोच्य पथ के रेखांकन में पड़ने वाले रैयती जमीन के संदर्भ में जो तथ्य रखे गये है, वहीं समरूप तथ्य अपने अपील अभ्यावेदन में भी अंकित किया गया है। इसके अतिरिक्त वसूली के बिन्दु पर समर्पित कारण पृच्छा में श्री प्रसाद द्वारा संचालन पदाधिकारी के समक्ष समर्पित बचाव बयान एवं साक्ष्य को संलग्न किया गया था। समर्पित अपील अभ्यावेदन में भी श्री प्रसाद द्वारा संचालन पदाधिकारी के समक्ष समर्पित बचाव बयान का ही उल्लेख किया गया है।

उक्त के अतिरिक्त श्री प्रसाद द्वारा दंडादेश के अनुमोदन के क्रम में सक्षम प्राधिकार के संदर्भ में उठाये गये बिन्दु के प्रसंग में पाया गया कि श्री प्रसाद के विरूद्ध यद्यपि आरोप इनके कनीय अभियंता के पदस्थापन अवधि का है तथापि प्रश्नगत् मामले में इनके विरूद्ध कार्रवाई सहायक अभियंता में प्रोन्नति के उपरान्त प्रारंभ हुई है। इनके सेवानिवृति के उपरान्त संचालित विभागीय कार्यवाही को बिहार पेंशन नियमावली के नियम–43(बी) तहत

15/5/2023

सम्परिवर्तित किया गया तथा इसके उपरान्त समीक्षोपरान्त दंड संसूचित किया गया है। इस संदर्भ में सामान्य प्रशासन विभाग का पत्रांक 806 दिनांक 16.01.2018 में वर्णित प्रावधान के अनुसार श्री प्रसाद के विरूद्ध की गयी कार्रवाई नियमसंगत पाया गया।

5. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में समीक्षोपरान्त यह पाया गया कि प्रावधानित प्रक्रिया का अनुपालन कर साक्ष्य समर्थित अभिलेख के आधार पर श्री प्रसाद के विरूद्ध प्रश्नगत् दंड अधिरोपित किया गया है। इस आलोक में श्री प्रसाद द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन को सक्षम प्राधिकार द्वारा स्वीकार योग्य नहीं पाया गया।

6. अतः उक्त आलोक में सम्यक विचारोपरांत श्री लाल बाबू प्रसाद, तत्कालीन कनीय अभियंता, एन०आर०ई०पी०, पटना सम्प्रति सेवानिवृत सहायक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा समर्पित अपील अभ्यावेदन दिनांक 20.02.2023 को अस्वीकृत किया जाता है।

प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

15/5/2023

(संजय दूबे)

विशेष सचिव

ज्ञापांक :–2/अ0प्र0–2–137/2014 1206 /पटना, दिनांक :– 16·5·23

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, पटना, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, निर्माण भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/5/2023

विशेष सचिव

ज्ञापांक :–2/अ0प्र0–2–137/2014 1206 /पटना, दिनांक :– 16·5·23

प्रतिलिपिः– अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग/योजना एवं विकास विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/ग्रामीण विकास विभाग/जल संसाधन विभाग/भवन निर्माण विभाग/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/भवन निर्माण विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/जल संसाधन विभाग/संयुक्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, पटना/कार्यपालक अभियंता, स्थानीय क्षेत्र अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल,–2, मुजफ्फरपुर/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा–5, ग्रामीण कार्य विभाग एवं श्री लाल बाबू प्रसाद, तत्कालीन कनीय अभियंता, एन०आर०ई०पी०, पटना सम्प्रति सेवानिवृत सहायक अभियंता, पत्राचार का पता :– राजीवनगर, रोड नं0–1, नालापर, डाकघर–केशरीनगर, थाना–राजीवनगर, जिला–पटना, पिनकोड–800024 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

15/5/2023

विशेष सचिव

ज्ञापांक :–2/अ0प्र0–2–137/2014 1206/पटना, दिनांक :– 16·5·23

प्रतिलिपिः– माननीय उप मुख्य (ग्रामीण कार्य) मंत्री के आप्त सचिव को माननीय उप मुख्य (ग्रामीण कार्य) मंत्री के अवलोकनार्थ एवं आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

15/5/2023

विशेष सचिव